



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25032026-271290  
CG-DL-E-25032026-271290

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1526]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 25, 2026/चैत्र 4, 1948

No. 1526]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 25, 2026/CHAITRA 4, 1948

रसायन और उर्वरक मंत्रालय  
(औषध विभाग)  
(राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण)  
शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 25 मार्च, 2026

का.आ. 1591(अ).— राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण की अधिसूचना में का.आ. 575 (अ), दिनांक 09.02.2021 खुदरा मूल्य के निर्धारण से संबंधित, भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित, तालिका के क्रमांक संख्या 6 & 7 के कॉलम संख्या 5 में उल्लिखित निर्माता का नाम अब से इस प्रकार पढ़ा जाए:

क्रमांक संख्या	पढ़ा जाए	के स्थान पर
6	“मैसर्स सन फार्मा लेबोरेटरीज लिमिटेड”	“मैसर्स प्योर एंड क्योर हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स सन फार्मा लेबोरेटरीज लिमिटेड”
7	“मैसर्स सन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड”	“मैसर्स प्योर एंड क्योर हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स सन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड”

2. तालिका के क्रम संख्या 6 & 7 से संबंधित दिनांक 09.02.2021 के मूल आदेश का.आ. 575 (अ), में उल्लिखित सभी नोट्स और अन्य सामग्री समान रहेंगी।

[का.सं./276/144/2026/एफ़/फा.सं. 8(144)/2026/डीपी/एनपीपीए-डिवी-II]

भीवा राम यादव, सहायक निदेशक

**MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS****(Department of Pharmaceuticals)****(NATIONAL PHARMACEUTICAL PRICING AUTHORITY)****CORRIGENDUM**

New Delhi, the 25th March, 2026

**S.O. 1591(E).**— In the National Pharmaceutical Pricing Authority's notification S.O. 575(E), dated 09.02.2021 relating to the fixation of retail price, published in the Gazette of India, Extraordinary, in the Table, the name of the manufacturer and marketing company mentioned in column no. 5 for the Sl. No. 6 & 7, is to be henceforth, read as follows:

<b>Sr. No.</b>	<b>To be read as</b>	<b>Instead of</b>
6	“M/s Sun Pharma Laboratories Limited”	“M/s Pure and Cure Healthcare Pvt. Ltd. and M/s Sun Pharma Laboratories Limited”
7	“M/s Sun Pharmaceutical Industries Limited”	“M/s Pure and Cure Healthcare Pvt. Ltd. and M/s Sun Pharmaceutical Industries Limited”

2. All the notes and other contents mentioned in the original order S.O. 575(E), dated 09.02.2021 relating to Sl. No. 6 & 7 of the table shall remain the same.

[PN/276/144/2026/F/F. No. 8(144)/2026/D.P./NPPA-Div.-II]

BHIVA RAM YADAV, Assistant Director